वन्य प्राणियों के लिए खतरा

*50. **श्री संजय राउत:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई बाघ अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों में वन संरक्षकों की कमी के कारण वन्य प्राणियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार के पास उपलब्ध जानकारी का ब्यौरा क्या है और सरकार देश के सभी बाघ अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा की प्रभावी ढंग से निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने जा रही है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डा. हर्ष वर्धन): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) देश में बाघ रिजर्वों तथा वन्यजीव अभयारण्यों में वन संरक्षकों की कमी के कारण वन्य प्राणियों के जीवन को खतरा नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वन संरक्षकों की कमी को केन्द्रीय प्रायोजित 'बाघ परियोजना' और 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' नामक जारी स्कीमों के माध्यम से अवैध शिकार रोधी रक्षकों की नियुक्ति करके पूरा किया जाता है। बाघ रिजर्वों और वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण हेतु फील्ड स्टॉफ के प्रयासों का अनुपूरण करने के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय कार्यबल को लगाया जाता है।

(ख) देश में बाघ रिजर्वो में औसतन 29% अग्रपंक्ति स्टाफ के पद रिक्त हैं। मंत्रालय में वन संरक्षकों की कमी का अभयारण्यवार विवरण समेकित नहीं किया जाता है। वन संरक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। भारत सरकार ने बाघ रिजर्वों और वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) सुरक्षा योजना संबंधी सामान्य दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं जोकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिदेशित ओवर आर्किंग टाइगर कन्जर्वेशन प्लान (टीसीपी) का भाग है।

(ii) भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अग्रपंक्ति स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की सलाह दी है।

(iii) बाघ रिजर्वों की सुरक्षा के संबंध में ऑडिट करने हेतु एक प्रोटोकॉल संस्थापित किया गया है।

(iv) सभी बाघ रिजर्वों को मॉनसून पैट्रोलिंग हेतु एडवायजरी जारी की गई है।

(v) बिजली का करंट लगने के कारण होने वाली मौतों से बचाने के लिए एडवायजरी जारी की गई है।

(vi) कारगर क्षेत्राधिकार के साथ-साथ जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सभी बाघ रिजर्वों को एम-स्ट्राइप्स पैट्रोल एप्लिकेशन (एंड्रॉयड बेस्ड) उपलब्ध कराए गए हैं।

(vii) एक विशेष परियोजना में मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) को कस्टमाइज किया गया है और उपकरण का पहला सेट, क्षमता निर्माण के पश्चात पन्ना बाघ रिजर्व को सौंपा गया है।

(viii) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ मिलकर ऑनलाइन वन्यजीव अपराध डाटाबेस विकसित किया गया है।

(ix) अवैध शिकार रोधी उपकरण प्राप्त करने और कानूनी सहायता तथा आसूचना एकत्रण हेतु सहायता के अतिरिक्त अवैध शिकार रोधी स्टाफ की बहाली, निगरानी एवं अवसंरचना विकास के लिए 'बाघ परियोजना' और 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(x) शस्त्र जुटाने और विशेष बाघ संरक्षण बल (एसीटीपीएफ) की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(xi) बाघ रिजर्वों और वन्यजीव अभयारण्यों से बाहर के संवेदनशील बाघ क्षेत्रों में पैट्रोलिंग के लिए मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है।

(xii) यथा अपेक्षा अवैध शिकारियों के बारे में राज्यों को सतर्क किया जाता है और उनके बारे में सूचना के प्रेषक/प्रापक संबंधी संपर्कों को प्रसारित किया जाता है।

(xii) जालों/फंदों का पता लगाने के लिए वन के तल को साफ करने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है।

(xiv) अलग-अलग बाघों का एक फोटो आइडी डाटाबेस रखने के लिए कैमरा ट्रेप का प्रयोग करके बाघ रिजर्व स्तरीय निगरानी की शुरुआत की गई है।

(xv) जब्त अथवा मृत बाघों के शरीर के अंगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अलग-अलग बाघों के फोटों कैप्चर का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया गया है।

(xvi) बाघ रिजर्वों में एक ऑनलाइन बाघ/वन्यजीव संबंधी अपराधों की ट्रैकिंग/रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सहयोग और वन्यजीव उत्पादों के सीमापारीय व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल के साथ समन्वय करने हेतु पहल की गई है।

(xvii) अवैध शिकार और वन्यजीवों तथा पशुओं से संबंधित सामग्रियों के अवैध व्यापार के बारे में आसूचना एकत्र करने और वन्यजीव संबंधी कानूनों के प्रवर्तन में अन्तर राज्यीय एवं सीमापारीय समन्वय प्राप्त करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्यकलापों को तेज कर दिया गया है।

(xviii) भारत, दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क (एसएडब्ल्यूईएन) का पक्षकार है ताकि क्षेत्र में वन्यजीव संबंधी अपराध और अवैध व्यापार से मिलकर निपटने में सदस्य देशों के बीच नेटवर्क तथा सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके।

(xix) नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग किया जाता है।

(xx) बाघ बहुल देशों के बीच बाघ की खाल सहित शरीर के अंगों की जब्ती संबंधी सूचना को साझा किया जाता है। भारत ने जोहान्सबर्ग में सीआइटीईएस सीओपी-17 में इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर सदस्य देशों ने सहमति दी थी।

Threat to wild animals

†*50. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether the threat to wild animals is on the increase due to shortage of forest guards in many tiger reserves and sanctuaries in the country; and

(b) the details of information available with Government in this regard, and the steps taken by Government to ensure effective monitoring for their protection in all tiger reserves and sanctuaries in the country?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The threat to the lives of wild animals is not increasing due to shortage of forest guard in Tiger Reserves and Wildlife Sanctuaries in the country as shortage of forest guards in met up by employing anti-poaching watchers through the ongoing Centrally Sponsored Schemes of 'Protect Tiger' and 'Development of Wildlife Habitats'. Local workforce is deployed in a big way for protection to complement the efforts of field staff in Tiger Reserves and Wildlife Sanctuaries.

(b) On an average there is a vacancy of 29% of frontline staff in Tiger Reserve in the country. The sanctuary-wise detail of shortage of forest guards is not collated in the Ministry. Concerned State Governments are responsible for filling up of the vacant posts of forest guards. The Government of India has taken the following steps to ensure protection of wildlife in tiger reserves and wildlife sanctuaries:–

† Original notice of the question was received in Hindi.

(i) Generic guidelines on preparation of Security Plan which forms part of the overarching Tiger Conservation Plan (TCP), mandated under Wild Life (Protection) Act, 1972 have been circulated.

(ii) Government of India has advised all State/UT Governments for filling up of vacant posts of frontline staff in the States/UTs.

(iii) A protocol to conduct security audit of tiger reserves has been instituted.

(iv) Advisory for Monsoon patrolling has been issued to all tiger reserves.

(v) Advisory to deal with mortality due to electrocution has been circulated.

(vi) M-Stripes patrol application (android based) has been provided to all tiger reserves to ensure effective area domination as well as accountability.

(vii) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) have been customized in a special project and first set of equipment handed over to Panna Tiger Reserve after capacity building.

(viii) Online wildlife crime database has been developed with the Wildlife Crime Control Bureau.

(ix) Increased financial assistance under ongoing Centrally Sponsored Schemes of 'Project Tiger' and 'Development of Wildlife Habitats' is provided to employ anti-poaching staff, monitoring and infrastructure development besides for procuring equipment for anti-poaching and assistance for legal support and intelligence gathering.

(x) Financial assistance to raise arm and deploy the Special Tiger Protection Force (STPF).

(xi) Providing grant by the Ministry for patrolling in sensitive forest areas outside tiger reserve and wildlife sanctuaries.

(xii) Alerting the States as and when required and transmitting backward/ forward linkages of information relating to poachers.

(xiii) Advising the States for combing forest floor to check snares/traps.

(xiv) Launching tiger reserve level monitoring using camera trap to keep a photo ID database of individual tigers.

(xv) Preparing a national database of individual tiger photo captures to establish linkage with body parts seized or dead tigers.

(xvi) Initiative taken for collaboration of National Tiger Conservation

Authority and Wildlife Crime Control Bureau towards an online tiger/wildlife crime tracking/reporting system in tiger reserves and to coordinate with INTERPOL for checking trans-border trade of wildlife products.

(xvii) Wildlife Crime Control Bureau activities have been intensified to gather intelligence about poaching and unlawful trade in wild animals and animal articles, and to achieve inter-State and transboundary coordination in enforcement of wildlife laws.

(xviii) India is Party to South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN) to strengthen the network and co-operation amongst the member countries in jointly combating wildlife crime and illegal trafficking in the region.

(xix) Bilateral co-operation with neighboring countries like Nepal, Bangladesh and Bhutan.

(xx) Sharing of information on seizure of body parts including skin of tigers among tiger range countries to ascertain source area. India made a proposal in this regard in CITES CoP-17 in Johannesburg which was agreed by member countries.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बाघों की संख्या कम होने के कारण, क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से कोई चिन्ता व्यक्त की है कि महाराष्ट्र में बाघों की संख्या कम हो रही है? ...(**व्यवधान**)...

डा. हर्ष वर्धन: मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र में टाइगर्स की संख्या कम हो रही है। On the contrary, हमारा जो अभी Tigers' census चल रहा है, जो हर 4 साल बाद होता है, उसके जो preliminary data मिल रहे हैं, उनके अनुसार, including Maharashtra, सारे देश में टाइगर्स की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राज्य सरकारों से मिलकर wild life protection के लिए बहुत ही skillful and trained staff की जरूरत होती है। इस बारे में आपने कुछ बताया भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खीरी और पीलीभीत डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट, जो नेपाल बॉर्डर पर है, वहां पर बाघ, तेंदुआ, हाथी और मगरमच्छ जंगल से बाहर आकर सिविलियन एरिया में घूम रहे हैं, गन्ने के खेतों या दूसरी फसलों के बीच में घूम रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... इससे conflict बढ़ रहा है। इसके कारण बहुत से आदमी भी मारे गए हैं और बहुत से जानवर भी मारे गए हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं एक बार माननीय मंत्री जी से मिला भी था। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपका सवाल क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जंगल के क्षेत्र के बाहर जो जंगली जानवर घूम रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए क्या मेकेनिज्म है और conflict को mitigate करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? **...(व्यवधान)...**

डा. हर्ष वर्धन: सभापति महोदय, Tiger Reserves or Wildlife Sanctuaries में इस काम के लिए जो watch and ward होता है, उसके लिए एक perfect system है और हमने केन्द्र सरकार की तरफ से पिछले दो वर्षों में स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी फंडिंग बढ़ाई है। **...(व्यवधान)...** जहां पर watch के लिए स्टाफ की कमी है, वहां पर anti-poaching staff और दूसरे स्टाफ को नियुक्त करने के लिए भी उनको बहुत सारी सुविधाएं दी है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के डीजी, फॉरेस्ट तथा अन्य सभी अधिकारी स्टेट्स के सभी अधिकारियों के साथ मिल कर इसके ऊपर लगातार watch रखते हैं। **...(व्यवधान)...** जो human and animal conflict है, उसको handle करने के लिए जो भी advanced से advanced strategies का इस्तेमाल हो सकता है, वह हम लगातार करते हैं। **...(व्यवधान)...** हमने इसके लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को detailed advisory भेजी हुई है और वे इसके आधार पर इसको follow करते हैं। **...(व्यवधान)...**

इसके साथ ही जहां पर unfortunate incident होता है, वहां पर हम भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का compensation भी देते हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः श्रीमती रूपा गांगुली। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती रूपा गांगुली: चेयरमैन सर, बंगाल में कुछ ही दिन पहले डेढ़ महीने से लालगढ़ के जंगल में एक शेर घूम रहा था, उसको ऑफिसर्स पकड़ नहीं पाए और बाद में लोकल लोगों ने उसको मार दिया। **...(व्यवधान)...** ऐसे ही elephant के tusks seize होते हैं। **...(व्यवधान)...** बंगाल में tusk के लिए सारे के सारे हाथी मारे जाते हैं। **...(व्यवधान)...** मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं तक क्या ये जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और reprimand करने का हमारे पास कोई बंदोबस्त है? **...(व्यवधान)...**

डा. हर्ष वर्धन: सर, भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के फॉरेस्ट विभाग के नीचे लेवल तक के ऑफिसर्स के लिए सब प्रकार की advisories, training तथा उनको arms and ammunition देना तथा जो भी और उनकी ज़रूरियात हैं, उनके लिए सब प्रकार से funding से उनको सशक्त करना, यह हम निरंतर करते हैं। **...(व्यवधान)...** जैसा मैंने पिछले सप्लीमेंटरी में भी बताया कि पिछले दो-तीन सालों से इस संदर्भ में सारी स्टेट्स की जो फंडिंग है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...** पिछले साल उसके पिछले साल के मुकाबले हमने फंडिंग में लगभग 70-80 करोड़ रुपए इम्प्रूव किया। **...(व्यवधान)...** इसी तरह से wildlife का जो Action Plan है, उसमें जो लोअर लेवल का स्टाफ है, उसकी training के लिए बहुत strong component है। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Next question, Shri Bhubaneswar Kalita.